



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19974/2026

नितिन यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : पंकज गोस्वामी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना- मुरादनगर, जिला-गाज़ियाबाद के अपराध संख्या 209/2026, धारा 309(6) और 61(2) बीएनएस के तहत, उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। इस मामले के अलावा, आवेदक का एक आपराधिक इतिहास भी है, जिसके बारे में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ज़मानत अर्ज़ी के समर्थन में दाखिल हलफ़नामे के पैरा 18 में बताया गया है। वह 17.05.2026 से जेल में बंद है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सह-आरोपियों, यानी अर्शलान और लखन को विचारण न्यायालय से पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। इन हालात में, यह कहा गया कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत मिलने पर, वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों की ज़मानत याचिका का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक **नितिन यादव**, जो उक्त मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) आवेदक को एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर, जब गवाह अदालत में उपस्थित हों, स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(iv) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (तदनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 (तदनुरूपी बीएनएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174-A (तदनुरूपी बीएनएस की धारा 209) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को (1) मामला शुरू होने, (2) आरोप तय होने, और (3) सीआर.पी.सी की धारा 313 (जिसके समक्ष बीएनएस की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने की निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदकों का न आना जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1)

23 जून 2026

आशुतोष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”